| आदेश की कम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ |
|---|---|---|

**सारण समाहरणालय, छपरा।**
**न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।**
**जिला विधि प्रशाखा**
**आपूर्त्ति अपील सं0 131/2012**
**जगदीश सिंह बनाम राज्य एवं अन्य**
**आदेश**

20/1/2013

यह अपील आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना, द्वारा CWJC सं0 4332/2012 जगदीश सिंह बनाम राज्य एवं अन्य में दिनांक 10/10/2012 को पारित आदेश के अनुपालन में अपीलकर्त्ता द्वारा दिनांक 30/10/2012 को समर्पित किया गया। जिसे तद्नुसार सुनवाई के लिए admit किया गया।

अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश ज्ञापांक 309/गो0 दिनांक 13/2/2012 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा उसकी जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी है।

इस वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 28/8/2011 को अंचल अधिकारी-सह-प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, अमनौर द्वारा एक पिकअप वाहन सं0 BR04F/8936 और उस पर लदे गेहूँ के 38 बोरे को जप्त किया गया था और एक प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। पुलिस अनुसंधान में आपराधिक आरोपों को सही पाया गया और अपीलकर्त्ता की अनुज्ञप्ति को रद्द करने की अनुशंसा की गयी। तद्नुसार अपीलकर्त्ता की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई।

प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए अपीलकर्त्ता ने कहा है कि उसकी अनुज्ञप्ति नैसर्गिक न्याय का हनन करते हुए रद्द की गयी है और उसे अपनी बात कहने का कोई वैधानिक अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी के प्रतिवेदन पत्रांक 173 दिनांक 2/9/2011 से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अवशेष अनाज के अतिरिक्त अनाज का उठाव के अनुसार वितरण कर दिया गया था। फिर भी उसके विरुद्ध कालाबाजारी का आरोप गैर-कानूनी तरीके से लगाया गया और अनुज्ञप्ति रद्द करने की अवैधानिक कार्रवाई की गयी।

विज्ञ विशेष लोक अभियोजक ने स्वीकार किया कि अनुज्ञप्ति रद्द करने के पूर्व अपीलकर्त्ता का अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया और

20/1/13

प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी का प्रतिवेदन अपीलकर्त्ता के विरूद्ध लगाए गए आरोपों का खंडन करता है।

दोनों पक्षों को सुनने से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आदेश अपीलकर्त्ता को अपना पक्ष रखने का मौका दिए बगैर पारित किया गया है। यह सही है कि अपीलकर्त्ता के विरूद्ध आपराधिक अभियोजन दायर किया गया है, किन्तु अभियोजन के बावजूद बिना विहित प्रकिया के अनुज्ञप्ति रद्द करना अवैधानिक है। फिर भी सरकारी आदेश के आलोक में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दायर प्राथमिकी के आलोक में अनुज्ञप्ति को निलम्बित रखना है।

उपरोक्त परिस्थितियों में अनुज्ञप्ति को रद्द करने संबंधी आदेश को खंडित करते हुए अनुज्ञप्ति को आपराधिक वाद के निष्पादन तक निलम्बित रखने का आदेश दिया जाता है। आपराधिक वाद के निष्पादन के बाद अनुज्ञापन पदाधिकारी विहित प्रकिया का पालन करते हुए अनुज्ञप्ति के संबंध में अवलिम्ब अपना अंतिम निर्णय लेंगे और अपीलकर्त्ता को संसूचित करेंगे। प्रश्नगत आदेश तद्नुसार संशोधित माना जाएगा।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 236 / विधि, दिनांक 4/2/2013।

प्रतिलिपि- अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा को भवदीय आदेश ज्ञापांक 309/गो० दिनांक 13-02-2012 के आलोक में सूचनार्थ एवं उक्त आदेश का अनुपालन हेतु प्रेषित।

वरीय उपसमाहर्त्ता,
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा

ज्ञापांक 236 / विधि, दिनांक 4/2/2013।

प्रतिलिपि- एन० आई० सी० पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं उक्त आदेश को जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

वरीय उपसमाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
29/01/13